अजमेर **अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर**

152/17/223 सुगरा बनाम बाबू वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हु
	17/00152 श्री नरेन्द्र सिंह गुर्जर श्री	

सुगरा बनाम बाबू वगैरह

29.3.19

पत्रावली हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं पैरोकर सरकर उपस्थित। पैरोकर सरकार ने आपत्ति की कि हस्तगत अपील इस न्यायालय में कानूनन संधारणीय नहीं है। न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आक्षेपित आदेश दिनांकित 30.11.2016 को अवलोकन किया।

अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभिभाषक द्वारा बिना पक्षकार को सूचना दिए एवं बिना पक्षकार की सहमति से अपनी मनमर्जी से वाद को नोट प्रेस कर खारिज करवा दिया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलांट को सूचना नही दी। इस कारण यह अपील स्वीकार कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है।

न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा वाद को नोट प्रेस में खारिज किया है एवं न्यायालय द्वारा नोट प्रेस होने के कारण ही वाद को खारिज किया गया है जिसमें न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि कारित किया जाना जाहिर नहीं होता है। यदि पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा किए गए उक्त कृत्य से क्षुब्ध है अथवा वाद को पुनःदर्ज करवाना चाहते है तो विधिअनुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.11.2016 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर